



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 21, शुक्रवार, शाके 1943-नवम्बर 12, 2021  
Kartika 21, Friday, Saka 1943- November 12, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा

अधिसूचनाएं

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 11, 2021

**एस.ओ.234** :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 में प्रकाशित हुई है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

"(i) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7 एवं 8 व उनकी प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

7.	विवाह संबंधित समारोह बंद स्थान (Close space)/खुले स्थान (Open space) में आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नहीं करने पर, सामाजिक दूरी नहीं बनाये जाने की स्थिति में, नो-मास्क नो एन्ट्री की पालना नहीं करने पर, उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुविधा के स्थान, रैलिंग, दरवाजे के हैंडिल को नियमित रूप से सेनिटाईज नहीं करने पर।	50,000/- (पचास हजार)
8.	किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7 के उल्लंघन पर।	50,000/- (पचास हजार)

(ii) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7ए व उनकी प्रविष्टियों को विलोपित किया जाता है। "

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।

1415

Government Central Press, Jaipur.